



## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार-2018

कैम्प कोर्ट : विराटनगर

कैम्प दिनांक 29.06.2018

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :- 27/ 2017

दायर तारीख :- 25.04.2017

झुंथाराम पुत्र सुजा जाति गुर्जर निवासी गुढा बैजनाथपुरा तहसील  
विराटनगर — वादी

### बनाम

1. मेवाराम पुत्र भगवानसहाय
  2. कल्लूराम पुत्र गणेश
  3. हीरालाल पुत्र भगवानसहाय
  4. नाथू पुत्र डालू (फौत)
  - 4/1. सुरजी उर्फ सुजा पत्नी रामनिवास जाति ब्राह्मण निवासी किशोरपुरा  
तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
  5. गोपीराम
  6. छीतर
  7. सुण्डी पुत्री सुजा
  8. बट्टीप्रसार पुत्र खागाराम
  9. बिदामी पत्नी कन्हैयालाल
  10. भैरूराम
  11. भागीरथ
  12. हनुमानसहाय
  13. रामेश्वर
  14. रामजीलाल
  15. प्रेम देवी पुत्री कन्हैयालाल
  16. माना देवी पुत्री कन्हैयालाल
  17. फूलाराम
  18. मामराज
  19. गोपाल
  20. सुरज्ञान
- समस्त जाति गुर्जर  
निवासी गुढा बैजनाथपुरा  
तहसील विराटनगर
- पुत्रान सुजा  
पुत्रान कन्हैयालाल
- जाति गुर्जर  
निवासी गुढा बैजनाथपुरा  
तहसील विराटनगर
- पुत्रान कानाराम, जाति गुर्जर निवासी बेरकी  
तहसील विराटनगर, जिला जयपुर



21. कसरी पत्नी जवाहर

22. प्रहलाद

23. रामकरण

24. कैलाश

25. ओमप्रकाश

पुत्रान जवाहर

जाति गुर्जर निवासी गुढा बैजनाथपुरा

तहसील विराटनगर

26. राहूल महावीर पुत्र महावीर जाति जाट निवासी गुढा बैजनाथपुरा तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

27. रामपाल } पुत्रान भूराराम निवासी गुढा बैजनाथपुरा

28. भगवाना } तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

29. भैरूराम }

30. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

— प्रतिवादीगण

### दावा बाबत बंटवारा आराजी व लगान

उपस्थित :- श्री मदनलाल जाट, अधिवक्ता वादी  
श्री गोपाल टांक, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 5, 6, 7  
श्री आनन्दसिंह शेखावत, अधिवक्ता प्रतिवादी 9 से 16 व 23 से 25  
पैरोकार सरकार

### निर्णय

निर्णय दिनांक 29.06.2018

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम गुढा बैजनाथपुरा के खसरा नम्बर 352/0.30 हैक्टेयर के हिस्सा 2/15 की खातेदारी वादी एवं शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 16 के नाम दर्ज रिकार्ड है।

खसरा नम्बर 97/0.04, 98/0.03, 102/0.02, 114/1.40, 115/0.05, 155/1.05, 156/0.09, 157/0.11, 158/0.02, 160/0.27, 161/0.04, 162/0.10, 163/0.04, 164/0.39, 327/0.03, 328/0.06, 330/0.03, 332/0.14, 333/0.76, 334/0.41 हैक्टेयर कित्ता 20 कुल रकबा 5.08 हैक्टेयर की खातेदारी में हिस्सा 1/10 वादी एवं शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 27 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

खसरा नम्बर 150/0.05, 165/0.29, 168/0.10, 169/0.56, 170/0.06, 171/0.01, 172/0.06, 173/0.64, 218/0.03, 219/0.15, 260/0.29, 261/0.35, 262/0.24, 263/0.10, 268/0.54, 269/0.82, 270/0.86, 272/0.74, 274/0.41, 280/0.35, 281/2.46, 282/1.14, 283/1.50, 286/0.02, 287/0.37, 287/383/0.11 हैक्टेयर कित्ता 26 कुल रकबा



12.25 हैक्टेयर में हिस्सा 1/10 वादी के नाम तथा शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 29 के नाम दर्ज रिकार्ड है।

वादी एवं प्रतिवादीगण ने आराजी सम्पूर्ण मुतनाजा का बाहमी बंटवारा कर रखा है। वादी ने बाहमी बंटवारे में आयी भूमि की सिंचाई के लिए खसरा नम्बर 282 में कुआ, बोरिंग कर उसमें विद्युत कनेक्शन अपने नाम से ले रखा है तथा प्रतिवादीगण भी बाहमी बंटवारे के अनुसार अपने-अपने हिस्से में आयी भूमि पर काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। पक्षकारान के मध्य कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। वादी ने प्रतिवादीगण को कानूनी बंटवारा कराने हेतु कई मर्तबा कहा, लेकिन वे टालमटोल करते हैं। अतः निवेदन है कि आराजी मुतनाजा का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाहमी बंटवारे एवं कब्जे काश्त के अनुसार बंटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे।

2. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 46, 47, 48, 42 संवत् 2072-2075, बिजली बिल आदि पेश किये।
3. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 5 लगायत 7, 9 लगायत 16 व 23 लगायत 25 जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाबदावा पेश नहीं किया। शेष प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।
4. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट तालवा बिहाजर दिनांक 04.06.2018 को पेश हुई, उपस्थित उभय पक्षकारान ने राजीनामा पेश कर बंटवारा प्रस्ताव मंगवाकर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया। प्रकरण दिनांक 04.06.2018 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार तहसीलदार विराटनगर को दोनो पक्षों की उपस्थिति में नरस-सरस के आधार पर बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई।
5. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट विराटनगर में पेश हुई। उपस्थित पक्षकारान एवं पैरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। ग्राम गुढा बैजनाथपुरा के खसरा नम्बर 352/0.30 हैक्टेयर के हिस्सा 2/15 की खातेदारी वादी एवं शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 16 के नाम दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 97/0.04, 98/0.03, 102/0.02, 114/1.40, 115/0.05,



155/1.05, 156/0.09, 157/0.11, 158/0.02, 160/0.27, 161/0.04, 162/0.10, 163/0.04, 164/0.39, 327/0.03, 328/0.06, 330/0.03, 332/0.14, 333/0.76, 334/0.41 हैक्टैयर किता 20 कुल रकबा 5.08 हैक्टैयर की खातेदारी में हिस्सा 1/10 वादी एवं शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 27 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा खसरा नम्बर 150/0.05, 165/0.29, 168/0.10, 169/0.56, 170/0.06, 171/0.01, 172/0.06, 173/0.64, 218/0.03, 219/0.15, 260/0.29, 261/0.35, 262/0.24, 263/0.10, 268/0.54, 269/0.82, 270/0.86, 272/0.74, 274/0.41, 280/0.35, 281/2.46, 282/1.14, 283/1.50, 286/0.02, 287/0.37, 287/383/0.11 हैक्टैयर किता 26 कुल रकबा 12.25 हैक्टैयर में हिस्सा 1/10 वादी के नाम तथा शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 29 के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने आराजी सम्पूर्ण मुतनाजा का बाहमी बंटवारा कर रखा है। वर्तमान में पक्षकारों के मध्य आराजी मुतनाजा के कब्जे काश्त को लेकर किसी प्रकार का विवाद नहीं है। खातेदारान को अपनी आराजी भूमि का कानूनी बंटवारा कराये जाने का हक अधिकार है। जहां, तक बंटवारा प्रस्ताव का प्रश्न है, बंटवारा प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में पक्षकारान के दर्ज हिस्सा एवं कब्जा काश्त को ध्यान में रखकर पक्षकारान की बंटवारा रिपोर्ट दिनांक 28.06.2018 में आपसी सहमति से राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार तैयार किया गया है, उक्त बंटवारा प्रस्ताव पर पक्षकारान सहमत है तथा सहमति स्वरूप बंटवारा प्रस्ताव पर अपने-अपने हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी की है। पक्षकारान के मध्य मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव कानूनी बंटवारा कर राजस्व लोक अदालत की मंशा अनुसार पक्षकारान को सुगम न्याय प्रदान किये जाने की पहल में प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

6. वादी ने अपने दावे को दस्तावेजी साक्ष्य से बखूबी साबित किया है। अतः दावा डिक्री किया जाना उचित पाता हूँ।

#### **आदेश**

वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रैजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।



नाम खातेदार	खसरा नम्बर
1 गोपीराम पुत्र सूजा हिस्सा 1/5, झूथाराम पुत्र सूजा हिस्सा 2/5, छींतरमल पुत्र सूजा हिस्सा 1/3, गोपीराम पुत्र सूजा हिस्सा 1/30, सुण्डी देवी पुत्री सूजा हिस्सा 1/30	114/1/0.36, 115/1/0.02, 218/0.03, 219/0.02, 272/0.74, 274/0.10, 280/0.35, 281/1/0.68, 282/0.79, 283/0.35, 327/0.03, 332/1/0.04, 333/1/0.20, 334/1/0.15, 155/1/0.47 हैक्टेयर किता 15 रकबा 4.33 हैक्टेयर
2 मेवाराम, हीरालाल पिता भगवानसहाय हिस्सा 24/428, कल्लूराम पुत्र गणेश हिस्सा 12/428, फूलाराम, मामराज, गोपाल, सुरज्ञान पिता कानाराम हिस्सा 27/428, केसरी पत्नी जवाहर, प्रहलाद, रामकरण, कैलाशचन्द, ओमप्रकाश पिता जवाहर हिस्सा 147/428, बिदामी देवी पत्नी कन्हैयालाल, भैरूराम, भागीरथ, हनुमानसहाय, रामेश्वर, रामजीलाल पिता कन्हैयालाल, प्रेम देवी, माना देवी पुत्रीयां कन्हैयालाल हिस्सा 147/428, राहुल महावीर पुत्र महावीर हिस्सा 71/856, राहुल गुप्ता पुत्र नरेश गुप्ता हिस्सा 71/856	97/0.04, 98/0.03, 102/0.02, 114/1.04, 115/0.03, 155/0.39, 156/0.09, 157/0.11, 158/0.02, 160/0.27, 161/0.04, 162/0.10, 163/0.04, 164/0.39, 328/0.06, 330/0.03, 332/0.10, 333/0.40, 333/2/0.16, 334/0.15, 334/2/0.11, 155/2/0.19 हैक्टेयर किता 22 किता 3.81 हैक्टेयर
3 मेवाराम, हीरालाल पिता भगवानसहाय हिस्सा 48/872, कल्लूराम पुत्र गणेश हिस्सा 24/872, रामपाल पुत्र भूराराम हिस्सा 172/2616, भगवाना पुत्र भूराराम हिस्सा 172/2616, भैरूराम पुत्र भूराराम हिस्सा 172/2616, फूलाराम, मामराज, गोपाल, सुरज्ञान पिता कानाराम हिस्सा 54/872, बिदामी देवी पत्नी कन्हैयालाल, भैरूराम, भागीरथ, हनुमानसहाय, रामेश्वर, रामजीलाल पिता कन्हैयालाल, प्रेम देवी, माना देवी पुत्रीयां कन्हैयालाल हिस्सा 287/872,	172/0.06, 173/0.64, 219/0.13, 260/0.29, 261/0.35, 262/0.24, 263/0.10, 268/0.54, 269/0.82, 270/0.86, 274/0.31, 281/1.78, 282/1/0.35, 283/1/1.15, 286/0.02, 287/0.37, 287/383/0.11, 150/0.05, 165/0.29, 168/0.10, 169/0.56, 170/0.06, 171/0.01 हैक्टेयर किता 23 रकबा 9.19 हैक्टेयर



	केसरी देवी पत्नी जवाहर, प्रहलाद, रामकरण, कैलाश, ओमप्रकाश पिता जवाहर हिस्सा 287/782	
4	झूथाराम पुत्र सूजा हिस्सा 2/5, गोपीराम पुत्र सूजा हिस्सा 7/30, छींतरमल पुत्र सूजा हिस्सा 1/30, सूण्डी देवी पुत्री सूजा हिस्सा 1/30	352/0.10 हैक्टेयर
5	मेवाराम पुत्र भगवानसहाय हिस्सा 1/24, कल्लूराम पुत्र गणेश हिस्सा 1/24, हीरालाल पुत्र भगवानसहाय हिस्सा 1/24, बद्रीप्रसाद पुत्र खांगाराम हिस्सा 1/4, बिदामी देवी पत्नी कन्हैयालाल, भैरूराम, भागीरथ, हनुमानसहाय, रामेश्वर, रामजीलाल पिता कन्हैयालाल, प्रेम देवी, माना देवी पुत्रियां कन्हैयालाल हिस्सा 1/2, नाथू पुत्र डालू हिस्सा 1/8	352/1/0.20 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल-दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित पक्षकार को बंटवारे में प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरुद्ध दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 29.06.2018 को मजमा-ए-आम कैम्प विराटनगर में सुनाया

( मुकेश कुमार मूंड R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी  
विराटनगर



**डिस्ट्रिक्ट मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)**  
**अपि अदालत :- उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजस्व लोक अदालत**  
**कैम्प कोर्ट : विराटनगर दिनांक 28.05.2018**

**बइजलास :- मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.**

झुंथाराम पुत्र सुजा जाति गुर्जर निवासी गुढा बैजनाथपुरा तहसील  
 विराटनगर — वादी

**बनाम**

1. मेवाराम पुत्र भगवानसहाय
2. कल्लूराम पुत्र गणेश
3. हीरालाल पुत्र भगवानसहाय
4. नाथू पुत्र डालू (फौत)
- 4/1. सुरजी उर्फ सुजा पत्नी रामनिवास जाति ब्राह्मण निवासी किशोरपुरा  
 तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
5. गोपीराम } पुत्रान सुजा
6. छीतर }
7. सुण्डी पुत्री सुजा
8. बट्टीप्रसार पुत्र खागाराम
9. बिदामी पत्नी कन्हैयालाल
10. भैरूराम
11. भागीरथ
12. हनुमानसहाय } पुत्रान कन्हैयालाल
13. रामेश्वर }
14. रामजीलाल }
15. प्रेम देवी पुत्री कन्हैयालाल
16. माना देवी पुत्री कन्हैयालाल
17. फूलाराम } पुत्रान कानाराम, जाति गुर्जर निवासी बेरकी
18. मामराज } तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
19. गोपाल }
20. सुरज्ञान }
21. केसरी पत्नी जवाहर
22. प्रहलाद } पुत्रान जवाहर
23. रामकरण }
24. कैलाश }
25. ओमप्रकाश }

समस्त जाति गुर्जर  
 निवासी गुढा बैजनाथपुरा  
 तहसील विराटनगर

जाति गुर्जर  
 निवासी गुढा बैजनाथपुरा  
 तहसील विराटनगर

जाति गुर्जर निवासी गुढा बैजनाथपुरा  
 तहसील विराटनगर



26. गौड़ल महावीर पुत्र महावीर जाति जाट निवासी गुढा बैजनाथपुरा तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

27. रामराम पुत्रान भूराराम निवासी गुढा बैजनाथपुरा तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

28. भगवाना

29. भैरूराम

30. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

### — प्रतिवादीगण

**मुकदमा नम्बर/नजरसानी संख्या 27/2017 दावा बाबत बंटवारा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रुबरु **श्री मदनलाल जाट एडवोकेट** व हाजरी .....मिन जानिब मुद्दई रुबरु **श्री गोपाल टांक एवं श्री आनन्दसिंह शेखावत एडवोकेट** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाहमी बंटवारे एवं कब्जे काशत के अनुसार बंटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे। **राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट विराटनगर में मजमा-ए-आम उपस्थित पक्षकारान को सुना गया।** प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काशतकारी अधिनियम के प्रावधानो एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किया गया। बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जान पर उभय पक्षकार सहमत है। **अतः हुक्म दिया जाता है कि** वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर
1	गोपीराम पुत्र सूजा हिस्सा 1/5, झूथाराम पुत्र सूजा हिस्सा 2/5, छीतरमल पुत्र सूजा हिस्सा 1/3, गोपीराम पुत्र सूजा हिस्सा 1/30, सुण्डी देवी पुत्री सूजा हिस्सा 1/30	114/1/0.36, 115/1/0.02, 218/0.03, 219/0.02, 272/0.74, 274/0.10, 280/0.35, 281/1/0.68, 282/0.79, 283/0.35, 327/0.03, 332/1/0.04, 333/1/0.20, 334/1/0.15, 155/1/0.47 हैक्टेयर किता 15 रकबा 4.33 हैक्टेयर



2	<p>मेवाराम, हीरालाल पिता भगवानसहाय हिस्सा 24/428, कल्लूराम पुत्र गणेश हिस्सा 12/428, फूलाराम, मामराज, गोपाल, सुरज्ञान पिता कानाराम हिस्सा 27/428, केसरी पत्नी जवाहर, प्रहलाद, रामकरण, कैलाशचन्द, ओमप्रकाश पिता जवाहर हिस्सा 147/428, बिदामी देवी पत्नी कन्हैयालाल, भैरूराम, भागीरथ, हनुमानसहाय, रामेश्वर, रामजीलाल पिता कन्हैयालाल, प्रेम देवी, माना देवी पुत्रीयां कन्हैयालाल हिस्सा 147/428, राहुल महावीर पुत्र महावीर हिस्सा 71/856, राहुल गुप्ता पुत्र नरेश गुप्ता हिस्सा 71/856</p>	<p>97/0.04, 98/0.03, 102/0.02, 114/1.04, 115/0.03, 155/0.39, 156/0.09, 157/0.11, 158/0.02, 160/0.27, 161/0.04, 162/0.10, 163/0.04, 164/0.39, 328/0.06, 330/0.03, 332/0.10, 333/0.40, 333/2/0.16, 334/0.15, 334/2/0.11, 155/2/0.19 हैक्टेयर किता 22 किता 3.81 हैक्टेयर</p>
3	<p>मेवाराम, हीरालाल पिता भगवानसहाय हिस्सा 48/872, कल्लूराम पुत्र गणेश हिस्सा 24/872, रामपाल पुत्र भूराराम हिस्सा 172/2616, भगवाना पुत्र भूराराम हिस्सा 172/2616, भैरूराम पुत्र भूराराम हिस्सा 172/2616, फूलाराम, मामराज, गोपाल, सुरज्ञान पिता कानाराम हिस्सा 54/872, बिदामी देवी पत्नी कन्हैयालाल, भैरूराम, भागीरथ, हनुमानसहाय, रामेश्वर, रामजीलाल पिता कन्हैयालाल, प्रेम देवी, माना देवी पुत्रीयां कन्हैयालाल हिस्सा 287/872, केसरी देवी पत्नी जवाहर, प्रहलाद, रामकरण, कैलाश, ओमप्रकाश पिता जवाहर हिस्सा 287/782</p>	<p>172/0.06, 173/0.64, 219/0.13, 260/0.29, 261/0.35, 262/0.24, 263/0.10, 268/0.54, 269/0.82, 270/0.86, 274/0.31, 281/1.78, 282/1/0.35, 283/1/1.15, 286/0.02, 287/0.37, 287/383/0.11, 150/0.05, 165/0.29, 168/0.10, 169/0.56, 170/0.06, 171/0.01 हैक्टेयर किता 23 रकबा 9.19 हैक्टेयर</p>
4	<p>झूथाराम पुत्र सूजा हिस्सा 2/5, गोपीराम पुत्र सूजा हिस्सा 7/30, छींतरमल पुत्र सूजा हिस्सा 1/30, सूण्डी देवी पुत्री सूजा हिस्सा 1/30</p>	<p>352/0.10 हैक्टेयर</p>
5	<p>मेवाराम पुत्र भगवानसहाय हिस्सा 1/24, कल्लूराम पुत्र गणेश हिस्सा 1/24, हीरालाल पुत्र भगवानसहाय</p>	<p>352/1/0.20 हैक्टेयर</p>



हिस्सा 1/24, बट्टीप्रसाद पुत्र खर्चागाराम हिस्सा 1/4, बिदामी देवी पत्नी कन्हैयालाल, भैरूराम, भागीरथ, हनुमानसहाय, रामेश्वर, रामजीलाल पिता कन्हैयालाल, प्रेम देवी, माना देवी पुत्रियां कन्हैयालाल हिस्सा 1/2, नाथू पुत्र डालू हिस्सा 1/8	
--	--

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल-दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित पक्षकार को बंटवारे में प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरुद्ध दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

**निर्णय दिनांक 29.06.2018 को मजमा-ए-आम कैम्प विराटनगर में सुनाया**

( मुकेश कुमार मूंड R.A.S.)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 विराटनगर

मुबलिक .....शून्य..... बाबत .....शून्य.....  
 खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत .....शून्य..... की  
 सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक .....शून्य..... का  
 अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख**  
**29.06.2018** को जारी की गई।

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस की आ सीसे दर्ज करना चाहिए।

( मुकेश कुमार मूंड )  
 उपखण्ड अधिकारी  
 विराटनगर